(b) Saving in fuel consumption is approximately 7.5 per cent.

(c) The likely saving of fuel at this level is expected to be approximately 48,000 litres per year per loco in use.

**यात्रियों के लिये बीमा-योजनायें**

2972. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :**
**श्री ब्रह्मदेव आनन्द पासवान :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल द्वारा आरक्षित या अनारक्षित टिकटों पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए सामूहिक बीमा योजना या अन्य बीमा योजना उपलब्ध है ;

(ख) क्या रेल-यात्रा के दौरान किन्हीं कारणों से रेल यात्री के घायल हो जाने या उसकी मृत्यु हो जाने पर उसे वायुयान से यात्रा करने वाले यात्रियों के समतुल्य मुआवजा राशि का भुगतान किया जाता है ;

(ग) क्या सरकार रेल यात्रियों के जीवन, सम्पत्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसा कब तक सुनिश्चित किया जायेगा ?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०सी० लेंका)** (क) और (ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ) राज्य सरकारें रेलवे स्टेशनों और चलती गाड़ियों सहित रेल परिसरों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा अपराध पर नियंत्रण रखने के लिए जिम्मेवार हैं । राजकीय रेलवे पुलिस रेलों के साथ निकट समन्वय रखकर यात्री गाड़ियों का मार्ग रक्षण करने, रेलवे परिसरों में गश्त लगाने, आसूचना एकत्रित करने का काम करती है, अपराधियों तथा ज्ञात बदमाशों पर निगरानी रखती है, रेलों पर अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध मामले दर्ज करती हैं, उनकी जांच करती हैं तथा उन पर मुकदमा चलाती हैं ।

जहां तक यात्री गाड़ियों में यात्रियों के बीमार हो जाने का संबंध है, सभी यात्री गाड़ियों में गार्डो के पास प्राथमिक चिकित्सा पेटी उपलब्ध होती है । जिन स्टेशनों पर रेलवे स्वास्थ्य यूनिट/रेलवे अस्पताल होते हैं वहां संदेश पहुंचने पर रेलवे चिकित्सा अधिकारियों द्वारा बीमार यात्रियों का इलाज किया जाता है ।

**Compensation to the next of kin of dead and injured school children involved in train accident near Pune**

2973. SHRI GOVINDRAO ADIK: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state the amount of compensation given in each case to the next of kin of the dead and injured school children involved in train accident near Pune on 11th December, 1993 alongwith the names of the beneficiaries?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI K. C. LENKA): As this mishap does not come under the purview of Section 124 of the Railways Act, 1989, no compensation has been paid to the next of kin of the dead and injured school children. However an amount of Rs. 52,500/- has been paid as ex-gratia to the injured.

**Restraints on multimodal transport operation**

@2974. SHRI VIREN J. SHAH:
SHRI PRAMOD MAHAJAN:

Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a news report

@Previously Unstarred Question No. 1920, transferred from 7.3.94.